रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. D2.7 JUL 1979
GOVT. OF INDIA

सं० 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1979/ज्येष्ठ 25, 1901

No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1979/JYAISTHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मन्त्रालय

### (आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1979

सं० एफ० 4(1)-डब्ल्यू०एण्ड एम/79—6 प्रतिशत ऋण, 1987, $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1997 और 7 प्रतिशत ऋण, 2009 (दूसरा निर्गम) के लिए 2 जुलाई 1979 से अभिदान स्वीकार किये जाएंगे । अभिदान नकदी में या भारत सरकार के 4 प्रतिशत ऋण 1979, $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 1979 और 5 प्रतिशत ऋण, 1979 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जाएंगे । जैसे ही यह विदित होगा कि नकदी और परिवर्तन राशि के रूप में प्राप्त कुल अभिदान राशि अनुमानतः 600 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक पहुंच गयी है, बिना सूचना दिये, किन्तु किसी भी दशा में 4 जुलाई 1979 को कारोबार समाप्त होने से पूर्व, इन निर्गमों को बन्द कर दिया जाएगा । सरकार को 600 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है ।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 660 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) से अधिक हो तो नकदी में अभिदान करने वालों को आंशिक आबंटन किया जाएगा । यदि नकदी में प्राप्त अभिदानों के सम्बन्ध में आंशिक आबंटन किया जाता है तो आबंटन के बाद यथाशीघ्र आनुपातिक राशि लौटा दी जाएगी । इस प्रकार लौटायी गई राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

3. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 2 जुलाई 1987 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6 प्रतिशत ऋण, 1987—

(i) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 2 जुलाई, 1987 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(ii) निर्गम मूल्य आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा ।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 2 जुलाई 1979 से वार्षिक 6 प्रतिशत होगी । प्रत्येक छमाही में 2 जनवरी और 2 जुलाई को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा

4. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 2 जुलाई 1997 को सममूल्य पर प्रतिदेय $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण, 1997

(i) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 2 जुलाई 1997 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(ii) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा ।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज-दर 2 जुलाई 1979 से वार्षिक 6½ प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 2 जनवरी और 2 जुलाई को ब्याज अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

5. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 25 मई 2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7 प्रतिशत ऋण, 2009 (दूसरा निर्गम)

(i) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 25 मई 2009 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(ii) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 2 जुलाई, 1979 से वार्षिक 7 प्रतिशत होगी। 2 जुलाई से 24 नवम्बर 1979 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 25 नवम्बर, 1979 को अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 25 मई और 25 नवम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

### परिवर्तन की शर्तें

6. 4 प्रतिशत ऋण 1979, 4½ प्रतिशत ऋण 1979 और 5 प्रतिशत ऋण, 1979 की प्रतिभूतियों को सममूल्य पर नये ऋणों में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की गयी 4 प्रतिशत ऋण, 1979 की प्रतिभूतियों पर वार्षिक 4 प्रतिशत की दर पर 30 जून 1979 तक (उस तारीख को भी मिलाकर) ब्याज अदा किया जाएगा। इसके अलावा आवेदित नये ऋण की ब्याज दर अर्थात् यथास्थिति वार्षिक 6 प्रतिशत, 6½ प्रतिशत या 7 प्रतिशत की दर के अनुसार एक दिन अर्थात् 1 जुलाई, 1979 के लिए नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय अगाऊ ब्याज भी अदा किया जाएगा।

परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की गयी 4½ प्रतिशत ऋण 1979 और 5 प्रतिशत ऋण, 1979 की प्रतिभूतियो पर क्रमश वार्षिक 4½ प्रतिशत और वार्षिक 5 प्रतिशत की दर पर 1 जुलाई 1979 तक (उस तारीख को भी मिलाकर) नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय ब्याज अदा किया जाएगा।

### पूरक व्यवस्थायें

7. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित लोक ऋण कार्यालयों, भारत में जम्मू व काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष में और जम्मू तथा श्री नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में ब्याज अदा किया जाएगा।

8 ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरो पर) काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जो कर-पात्र नही है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हो।

जो धारक कर पात्र नही है या निर्धारित दर से कम दर पर कर-पात्र है वह जिले के आय कर अधिकारी को आवेदन कर उन से एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतर दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाए।

9. अब जारी किये जाने वाले ऋणों पर और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 3,000 रुपयों की सीमा तक और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठ के अन्य उपबन्धों के अधीन आय-कर से छूट प्राप्त होगी।

10. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य, इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 1,50,000 रुपयों की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी।

11. प्रतिभूतियां निम्नलिखित के रूप में जारी की जाएंगी।

(i) स्टाक, इसके आवेदकों को स्टाक प्रमाणपत्र दिये जाएंगे, या

(ii) वचनपत्र।

यदि आवेदक इनमें से किसी का उल्लेख न करें तो उसे वचनपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

12. ऋणों के लिए आवेदन-पत्र ऋणों के लिए आवेदन-पत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए।

13. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय, और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये स्थानों को छोड़कर भारत में अन्य स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

14. आवेदन-पत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिए जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण, आवेदक के पूरे नाम और पते तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता हो।

15. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चेक या परिवर्तन के लिए स्वीकार्य ऋणों की प्रतिभूतियों के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चेक संबन्धित बैंक के नाम आहरित किये जाने चाहिए।

परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में उसके धारक को चाहिए कि वह—

(i) स्टाक प्रमाणपत्रों के मामले में, प्रमाणपत्र के पीछे दिये गये अन्तरण विलेख के फार्म पर किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर कर,

(ii) वचनपत्रों के मामले में, उन्हें निम्न प्रकार पृष्ठांकित कर, "भारत के राष्ट्रपति को अदा करें"

उन्हें सरकार को अन्तरित कर दें।

16. स्वीकृत बैंकों और दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनको मोहरयुक्त ऋण-आवेदनपत्रों पर किये गये आबंटनों पर प्रति रु० 100 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जाएगी।

दलाली की अदायगी के लिए दावा ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर अदायगी कार्यालयों मे पेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के आदेश से

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

**आवेदन-पत्र का फार्म**

मैं/हम————————————— —————————इसके साथ रुपये नकदी* में——————————रुपयों के
(पूरा/पूरे नाम बड़े अक्षरों में)
लिए चेक* रु०——————————के सांकेतिक मूल्य के भारत सरकार के 4 प्रतिशत ऋण 1979/4½ प्रतिशत ऋण 1979/5 प्रतिशत ऋण 1979 की प्रतिभूतियां* प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें वचनपत्र (पत्रों)+ के रूप में——————————रुपयों के
स्टाक प्रमाणपत्र
सांकेतिक मूल्य के 6 प्रतिशत ऋण 1987*/6½ प्रतिशत ऋण, 1997*/7प्रतिशत ऋण 2009* (दूसरा निर्गम) की प्रतिभूतियां जारी की जाएं और उनका ब्याज—————————————— में देय हो।

---

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें। सारी प्रविष्टियां लोक ऋण कार्यालय द्वारा की जाएंगी।

---

छोटे हस्ताक्षर दिनांक

आवेदनपत्र सं० ........................................ हस्ताक्षर........................
'दलाली नहीं' मुहर ........................................ पूरा नाम ........................
नकदी प्राप्त होने की तारीख ........................................ (बड़े अक्षरों में)
चैक वसूल होने की तारीख ........................................ पता........................
विशेष चालू खाते में ........................
जमा किया गया ........................................
जांच की गयी ........................................
नकदी आवेदन-पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया ........................................
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया........................................
मांग पत्र सं० ........................................
प्रतिभूति सं० ........................................
कार्ड सं० ........................................
................को वाउचर
पारित किया गया

---

दिनांक......जुलाई 1979

टिप्पणी : (1) परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियां यदि वचनपत्रों के रूप में हो तो उन्हें आवेदक के हस्ताक्षरों सहित इन शब्दों के साथ पृष्ठांकित किया जाए, "भारत के राष्ट्रपति को अदा करें" और यदि स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो पीछे के अंतरण विलेख पर आवेदक किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करे।

(2) प्रत्येक ऋण, अभिधान के प्रत्येक प्रकार और अपेक्षित नये ऋण की प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(3) यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हों तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हो। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जायें।

(4) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों, तो संलग्न किये जाएं :

(1) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

(2) संघ का ज्ञापन पत्र और अंतर्नियम या कम्पनी/निकाय के नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(3) कम्पनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(5) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) प्रावेश फार्म भी भरना चाहिये।

---

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए।

+रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1,000, रु० 5,000, रु० 10,000 रु० 25,000, रु० 50,000 और रु० 1,00,000, के मूल्य वर्गों में वचनपत्र जारी किये जाएंगे। जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख यहां किया जाए।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Economic Affairs)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1979

**No. F. 4(1)-W&M/79.**—Subscriptions for the issues of 6 per cent Loan, 1987, 6-1/2 per cent Loan, 1977 and 7 per cent Loan 2009 (Second Issue) will be received from the 2nd July, 1979. Subscriptions will be received in the form of cash or of securities of Government of India 4 per cent Loan, 1979, 4-3/4 per cent Loan 1979 and 5 per cent Loan 1979 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 600 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 4th July, 1979. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 600 crores.

2. If the total subscripions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 660 crores (Nominal, partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 6 per cent Loan 1987 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 2nd July, 1987.

(i) Date of repayment—The Loan will be repaid at par on the 2nd July, 1987.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 6 per cent per annum from 2nd July, 1979. Interest will be paid half yearly on the 2nd January and 2nd July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

4. 6-1/2 per cent Loan, 1977 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 2nd July 1997.

(i) Date of repayment—The Loan will be repaid at par on the 2nd July 1997.

(ii) Issue Price The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest Loan will bear interest at the rate of 6-1/2 per cent per annum from 2nd July 1979 Interest will be paid half yearly on the 2nd January and 2nd July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 7 per cent Loan, 2009 (Second Issue) issued at Rs 100.00 per cent and redeemable at par on the 25th May, 2009.

(i) Date of repayment—The Loan will be repaid at par on the 25th May, 2009.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 7 per cent per annum from 2nd July 1979. Interest for the period 2nd July to 24th November, 1979 inclusive will be paid on 25th November 1979 and thereafter interest will be paid half yearly on 25th May and 25th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraph 8 and 9 below be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

**Conversion Terms**

6. The securities of 4 per cent Loan 1979 4-3/4 per cent Loan 1979 and 5 per cent Loan 1979 will be accepted for conversion into the new loans at par

Interest on the securities of 4 per cent Loan 1979 tendered for conversion will be paid at the rate of 4 per cent per annum upto and inclusive of 30th June, 1979 In addition, anticipatory interest will also be paid according to the rate of interest of the new loan applied for i.e. 6 ped cent, 6-1/2 per cent or 7 per cent per annum as the case may be for one day i.e. 1st July 1979 at the time of issue of new securities.

Interest at the rate of 4-3/4 per cent per annum on 4-3/4 per cent Loan 1979 and 5 per cent per annum on 5 per cent Loan 1979 upto and inclusive of 1st July 1979 on the securities tendered for conversion will be paid at the time of issue of new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. Place of payment of interest—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim, and also at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

8. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax) was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder

9. Interest on all the loans now issued together with Interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

11. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

12. Applications for the loans—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

13. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, and

(b) Branches of the State Bank of India at all places in India except at (a) above.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of Loans which are acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) in the case of Stock Certificates, by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below :—

"Pay to the President of India".

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs .100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

By Order of the President,

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We .....hereewith
[Full Name(s) in Block letters]
tender *Cash Rs.....*Cheque for Rs.....
*Securities of Government of India 4 per cent Loan, 1979/4 3/4 per cent Loan 1979/5 per cent Loan 1979 of the nominal value of Rs.....
.....and request that securities of 6 per cent Loan 1987*/6 1/2 per cent Loan, 1997*/7 per cent Loan 2009*(Second Issue) of the nominal value of Rs .....may be issed to me/us in the form of Promissory Note(s)+interest to be

Stock Certificate

paybale at.....

N.B.—The applicant should not write anything in this case. The entries will be filled in by the Public Debt Office

| | *Initials* | *Date* |
|---|---|---|
| Application No. | | |
| N.B. Stamp | | |
| Cash received on | | |
| Cheque realised on | | |
| Credited to Special Current Account on | | |
| Examined | | |
| Cash Applications Register posted | | |
| Brokerage Register posted | | |
| Indent No. | | |
| Script No. | | |
| Card No. | | |
| Voucher passed on | | |

Signature .....
Name in full.....
(Block letters)
Address .....

Dated the of July 1979

*Delete what is not required.

+Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

NOTES :

(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the reverse should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription and each form of script (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresse of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/Bye-laws of the company/body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the company/body.

(5) Applicants desiring the issue of scripts in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly interest to them.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979